न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अयोध्या

उपस्थितः रणंजय कुमार वर्मा ..... एच०जे०एस०

जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः 231/2026

[रजिस्ट्रेशन नम्बरः 478/2026]

[CNR No. UPFZ010012592026]

1. पवन कुमार पाण्डेय पुत्र रमाकान्त पाण्डेय,

2. दिलीप पाण्डेय उर्फ रिन्टू पाण्डेय पुत्र रमाकान्त पाण्डेय,

निवासीगण ग्राम रेवरी, थाना गोशाईगंज, जनपद अयोध्या।

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश ..... विपक्षी

---

1. प्रार्थी/अभियुक्तगण की तरफ से जमानत का यह प्रथम प्रार्थनापत्र संख्या 231/2026, मुकदमा अपराध संख्या 43/2026, अन्तर्गत धारा 115(2), 352, 351(3), 110 भा०न्या०सं०, थाना गोशाईगंज, जनपद अयोध्या के अभियोग में प्रस्तुत है।

2. प्रार्थी/अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा के तहत जेल में निरूद्ध हैं। मजिस्ट्रेट द्वारा उनका जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होकर सत्यापित प्रति संलग्न पत्रावली है।

3. प्रार्थी/अभियुक्तगण के अनुसार उनका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में उनकी तरफ से कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र न तो प्रस्तुत है, न विचाराधीन है और न ही निस्तारित हुआ है।

4. प्रार्थी/अभियुक्तगण की तरफ से यह तर्क किया गया कि वे निर्दोष हैं। महज पार्टीबन्दी की रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। उनके विरूद्ध प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है। उनके विरूद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट व मेडिकल रिपोर्ट आपस में मेल नहीं खाते हैं। वादीपक्ष की सभी चोटें साधारण हैं। कथित दिनांक की घटना के सन्दर्भ में वादी पक्ष के विरूद्ध क्रास केस पंजीकृत है। वे जमानत देने के लिये तैयार हैं। अतः उन्हें जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

5. विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्तगण की जमानत का विरोध किया गया।

Digitally signed by RANANJAY KUMAR VERMA
Date: 2026.03.10 19:19:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

6. सुना एवं सम्यक् अभिलेखों का परिशीलन किया।

7. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 24.02.2026 की सुबह समय करीब 8.00 बजे वादी मुकदमा राम तीरथ मिश्र का भाई श्री नरायन मिश्र अपने खेत में गया था तभी विपक्षी पवन कुमार पाण्डेय व दिलीप पाण्डेय उर्फ रिन्टू पाण्डेय ने रंजिशवश वादी के भाई को लाठी एवं लोहे की सरिया से मारना शुरू कर दिया। शोर पर विपक्षीगण मां–बहन की भद्दी–भद्दी गाली देते हुये भाग गये। प्रार्थी/अभियुक्तगण की कोई विशिष्ट भूमिका होना नहीं कहा गया है। मामले में विवेचना प्रचलित है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास होना उल्लिखित नहीं है। अपराध अधिकतम सात वर्ष तक के कारावास के दण्ड से दण्डनीय है। प्रार्थी/अभियुक्तगण जेल में निरूद्ध हैं। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण अवगुण पर टिप्पणी किये जमानत का संतोषजनक आधार है। जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत जमानत का यह प्रथम प्रार्थनापत्र संख्या 231/2026, मुकदमा अपराध संख्या 43/2026, अन्तर्गत धारा 115(2), 352, 351(3), 110 भा०न्या०सं०, थाना गोशाईगंज, जनपद अयोध्या में स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण प्रत्येक को उनके द्वारा अपराध उपरोक्त में रूपये 50,000–50,000 (पचास–पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो–दो प्रतिभूगण सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

(रणंजय कुमार वर्मा)
सत्र न्यायाधीश
अयोध्या
JO CODE: UP1908

दिनांकः 10.03.2026